तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/x/25	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। प्रकरण निम्न प्रकार है - तहसीलदार लाडपुरा द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय जिला कलेक्टर कोटा में इस बाबत प्रस्तुत किया गया कि ग्राम गणेशपुरा में जमाबन्दी संवत् 2039-42 में खसरा नं. 33 की 13 बीघा 1 बिस्वा तथा खसरा नं. 35 की 16 बीघा 4 बिस्वा आराजी सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। भू-प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान जमाबन्दी संवत् 2035-57 में प्रश्नगत खसरा नं. के मिन बन्दोबस्त से नवीन खसरा नम्बर 48 रकबा 0.42 Hct बनाया गया तथा प्रतिवादीगण के खाते दर्ज कर दिया गया। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बिना किसी अधिकारिता के सिवायचक भूमि को खाते दर्ज कर दिया गया है अतः	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
	प्रश्नगत आराजी खसरा नं. 58 रकबा 0.42 हे० को पुनः राज्य सरकार के खाते दर्ज किया जावे।
	जिला कलेक्टर महोदय के आदेश क्रमांक रीडर/DM/2006/2587 दिनांक 29.8.06 से न्यायालय के क्षेत्राधिकार विभाजन होने से यह पत्रावली 05.09.2006 को इस न्यायालय को स्थानान्तरित हुई। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थीगण के जवाब अनुसार अप्रार्थीगण की आराजी ख. नं. 16/0.03, 56/0.01, 57/0.56 एवं 58/0.42 कुल किता 4 कुल रकबा 1.02 हे० ग्राम गणेशपुरा में स्थित है। सेटलमेन्ट से पूर्व अप्रार्थीगण के खाते खसरा नं. 19 मि., 44 मि., 35 मि. व 34 मि. दर्ज रिकार्ड थे। उक्त आराजी पूर्व में खातेदार

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
रामनारायण आदि लोगों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड थी, जो रामनारायण के मौत होने के उपरान्त प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई। बहस हेतु अपीलार्थी को पर्याप्त अवसर दिए गए। लेकिन अपीलार्थी बहस हेतु उपस्थित नहीं हुए। अतः पत्रावली आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अध्ययन किया। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा मात्र एक दस्तावेज न. को उल्लेख कर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है. सेटलमेन्ट से पूर्व अपीलार्थीगण का कुल रकबा कितना था, तथा सेटलमेन्ट द्वारा कितना रकबा अपीलार्थीगण के खाते दर्ज किया, का भी उल्लेख तहसीलदार लाडपुरा द्वारा नहीं किया गया है। जिससे अपीलार्थीगण के खाते में सेटलमेन्ट द्वारा किए गए कुल परिवर्तन ~~कितना किया~~ का निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है। तहसीलदार लाडपुरा से यह अपेक्षित था कि प्रश्नगत प्रकरण में सेटलमेन्ट पूर्व व	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
	पश्चात् के कुल रकबे व नक्शे में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा किये गए परिवर्तनों का विवरण संलग्न करेंगे। उक्त परिस्थितियों में प्रार्थी नहामीकदार लाड़पुरा अपना पक्ष स्पष्टतया प्रमाणित नहीं कर सका है। अतः इस प्रार्थी को आवेदन अस्वीकार किया जाना उचित पाते हैं। उक्त परिस्थितियों में प्रार्थी नहामीकदार लाड़पुरा द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। 21/10/24 उपखण्ड अधिकारी कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★